

लोक वित्त (Public Finance)

सरकारी वित्त को लोक वित्त कहते हैं इस क्षेत्र में चर्चा के मुख्य विषय निम्न होते हैं -

- (i) सरकारी प्राप्तियों
- (ii) सरकारी खर्च
- (iii) सरकारी ऋण
- (iv) केन्द्र राज्य वित्तीय सम्बंध आदि।

सरकारी प्राप्तियों :-

यदि सरकार को किसी भी स्रोत से आय प्राप्त होती है तो इसे सरकारी प्राप्ति कहते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है -

- (i) राजस्व प्राप्तियों
- (ii) बूझीगत प्राप्तियों

राजस्व प्राप्तियों (Revenue Receipts) :-

सरकार को मिलने वाली ऐसी आय जिसे प्राप्त करने के लिए न तो सार्वजनिक संपत्तियों (Public Assets) को कम करना पड़े और न ही सार्वजनिक दायित्वों (Public Liabilities) को बढ़ाना पड़े तो इस प्रकार की आय को राजस्व प्राप्तियों कहते हैं।

Liabilities	Assets
House Loan - ₹2 करोड़	House - 2 करोड़

राजस्व प्राप्तियों को दो भागों में बाँटा जा सकता है -

1- कर राजस्व (Tax Revenue) :-

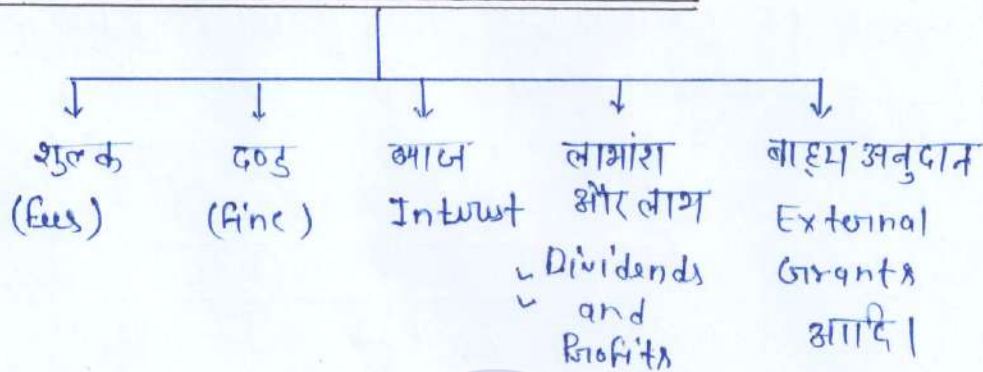
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष

करों से प्राप्त समस्त आय।

कर एक आनिवार्य भुगतान होता है जो लोगों को राज्य को देना पड़ता है इसके बदले में राज्य को कोई वस्तु या सेवा कर-दाता को देने की आवश्यकता होती है और न ही उसे वापस लेटना होता है।

इस प्रकार, कर एक (Unitary transaction)
एक तरफा स्थानांतरण होता है

(ii) गैर-कर राजस्व (Non tax Revenue) :



KGS IAS  **IAS**
सांविधिक
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर (Direct and Indirect Taxes) :

प्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जिनके भार को अन्य लोगों पर स्थानांतरण नहीं किया जा सकता।

दूसरे शब्दों में, जिन लोगों पर ये कर लगाए जाते हैं उन्हें ही उनका भार वहन करना पड़ता है।

ये कर लोगों की आय या उनकी संपत्ति या उनके द्वारा किए जाने वाले संपत्तियों के लेन-देन पर लगाए जाते हैं।

प्रत्यक्ष कर के कुछ मुख्य श्रावण निम्न प्रकार दिए जा सकते हैं:-

(i) आय कर (Income Tax) :-

केन्द्र सरकार द्वारा लोगों की गैर-कृषिगत आय पर इसे लगाया जाता है इसे PIT (Personal Income tax) भी कहते हैं।

(ii) निगम कर (Corporation Tax) :-

केन्द्र सरकार द्वारा कंपनियों के मुनाफों पर इसे आरोपित किया जाता है इसे CIT (Corporate Income tax) भी कहते हैं

(iii) पूँजीगत लाभ पर (Capital Gains Tax)

संपत्तियों (जैसे कि मकान, ईक्विटी, बॉन्ड) के विक्रय से होने वाले लाभों को पूँजीगत लाभ कहते हैं तथा इन लाभों पर लगाए जाने वाले कर को पूँजीगत लाभ कर कहते हैं यह कर केन्द्र सरकार लगाती है